

16/1/18 पत्रावली पर सुनवाई के बाद (असामान्य उपस्थिति)
 जवाब का कार्य समय दिया गया फिर भी
 जवाब पेश नहीं किया गया। अगली शिथिल पर
 पेश नहीं करने पर जवाब की क्लोज समाप्त
 होगी व पत्रावली बहस में विचारित होगी। अतः
 पत्रावली कार्रवाई जवाब एवं बहस हेतु दिनांक
 14/3/18 को पेश हो।


 SDO

14/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील आरोप वकील
 आरोपों उपस्थित। वकील आरोपों जवाब
 प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वकील आरोपों एवं
 वकील आरोपों की बहस सुनी गई।
 अभियंता के वकील बाद गृह मंत्रालय के संबंध
 में प्रशासिकता बनाये रखने हेतु निवेदन
 किया।



आद: आदेश दिया जाता है कि मूल वाद
 का फैसला होने तक मामला स्थगित होकर
 एलका विंडी की प्रवृत्ति ज. 49/6) खसरा नं.
 386 रकबा आधा बीघा भूमि के संबंध में
 मोके एवं रिकार्ड की प्रशासिकता बनाये रखी जावे।
 पत्रावली के लिए सुभाष चोकर नम्बर जे.एम.की.प.व।


 4/6